संख्या–1964 / 14–2–2017–800 (34) / 2017

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 14 सितम्बर ~~अगस्त~~ 2017

विषयः–एटा–कासगंज मार्ग एवं बरेली–मथुरा मार्ग का लोक निर्माण विभाग द्वारा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु एटा में किमी0 0 से 20 तक 22.80 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 2435 वृक्षों के पातन तथा कासगंज में एटा–कासगंज मार्ग पर किमी0 21 से 24.3 तक तथा बरेली–मथुरा मार्ग किमी0 145 से 161.5 तक 24.008 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 3234 वृक्षों के पातन विषयक परियोजना में कुल 46.808 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 5669 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय संख्या–8बी / 06 / 32 / 2017 / एफसी / 58, दिनांक 27–6–2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयक प्रकरण में कतिपय सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेख को संशोधित करते हुये संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र संख्या–576 / एटा–कासगंज मार्ग / 21109 / 2016, दिनांक 29–8–2017 द्वारा अपेक्षित सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेखों सहित संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2– अतएव मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 29–8–2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेखों सहित संशोधित प्रस्ताव की (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या–1964(1) / 14–2–2017–तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।